न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(231)

प्र.क्रं. / 2014 पुनरीक्षण R-391-III/14

1. अमित कुमार पुत्र श्री उमाशंकर पटेल
2. गुलाब नाबालिग पुत्र श्री उमाशंकर पटेल सरपरस्त पिता उमाशंकर पुत्र गयादीन पटेल निवासीगण चंदला तह. चंदला जिला छतरपुर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. जलील खां पुत्र जुम्मन खा
2. शरीफ खां पुत्र जुम्मन खां
3. श्रीमती रूकशाना बेवा फरीद खां
4. राजू 5. गुड्डू दोनो नाबालिग पुत्रगण फरीद खां द्वारा संरक्षक मां श्रीमती रूकशाना बेवा फरीद खां समस्त निवासीगण चंदला तह. चंदला जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
1-2-14 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र.क्रं. 11/निगरानी/अ–6–अ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30.10.13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2152/2/ दाउद खां से आवेदक ने दिनांक 8.8.97 को क्रय की थी तदनुसार आवेदकगण का तहसील न्यायालय से

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 391–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25 –07–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदकगण की ओर से एम.पी. भटनागर एवं म.प्र. शासन की ओर से अनिल श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित, उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किए। मेने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र.कं. 11/निग./अ–6–अ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2152/2 रकवा 0.405 हे. दाउद खॉ से आवेदक ने दिनांक 08.08.1997 को कय की थी तदनुसार आवेदकगण का तहसील न्यायालय से विधिवत नामांतरण का आदेश पारित होकर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गया। आवेदकगण ने उक्त भूमि का दिनांक 18.07.1988 को सीमांकन कराया था उक्त सीमांकन कार्यवाही की सूचना अनावेदकगण को दी गई थी उनकी उपस्थिति में ही सीमांकन हुआ था।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– आवेदक द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि खसरा नं. 2152/2 रकवा 1.00 अंश रकवा 0.405 हे. भूमि आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। लेकिन नक्शे में तरमीम न होने के कारण काश्त करने में बाधा उत्पन्न होने से अपनी भूमि का नक्शा में तरमीम (लाल स्याही से) कराने बावत आवेदकगण नाबालिग होने से उनके सरपरस्त पिता उमाशंकर पटेल ने दिनांक 23.10.98 को तहसील में आवेदन दिया था। जिस पर से प्रकरण दर्ज कर विधिवत उदघोषणा जारी कर हल्का पटवारी से मौके का तरमीम प्रतिवेदन प्राप्त कर नायब तहसीलदार चन्दला ने अपने आदेश दिनांक 9.11.98 द्वारा नक्शे में लाल स्याही से तरमीम अंकित कर वटा नंबर कायम करने का विधि संगत आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा यह तर्क भी दिया कि नायब तहसीलदार चंदला ने राजस्व प्रकरण कमांक 08/अ–6–अ/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 09.11.1998 द्वारा नक्शा तरमीम के आदेश पारित किया गया । अनावेदकगण ने 12 वर्ष पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्थात अत्यधिक विलंब से पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था विलंब के संबंध में जो कारण बताये थे वह मनगढ़ंत थे जो विश्वसनीय नही थे अर्थात इतने लंबे अर्से तक जानकारी न होने बावत ऐसा कोई कारण नहीं बताया था जिस पर विश्वास किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–5 आवेदन का निराकरण किये बिना सीधे गुण दोषों पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।	

तला छतरपुर

भाषकों

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 391—तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक द्वारा यह तर्क भी दिया कि तरमीम आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के अंतर्गत अपील पोषणीय थी अनावेदक ने अपील प्रस्तुत न कर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था इस प्रकार प्रस्तुत पुनरीक्षण अधिकारिता रहित था अधिकारिता रहित एवं अत्यधिक विलंबित पुनरीक्षण में पारित आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया । 4— अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क किया कि वह सरहदी कास्तकार थे परन्तु उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना तहसील न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। अनावेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया और न ही नक्शा तरमीम की कार्यवाही उनकी उपस्थिति में की गई। तरमीम आदेश की जब जानकारी हुई तब उनके द्वारा विधिवत अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने का जो आदेश दिया है वह उचित है। 5— उपभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं	

कृ.पृ.उ.

XXXIX

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण ने ग्राम चन्दला में स्थित खसरा नं. 2152/2 रकवा 0.405 हे. भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.8.97 को क्रय की तत्पश्चात राजस्व अभिलेख में भूमिस्वमी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गया। उसके पश्चात आवेदक ने दिनांक 18.7.98 को सीमांकन कराया उक्त सीमांकन दोनों पक्ष की उपस्थिति में किया गया था अनावेदक ने सीमांकन में कोई आपत्ति नहीं की थी। सीमांकन पश्चात नक्शा तरमीम कराया जो आदेश दिनांक 9.11.98 द्वारा खसरा नं. 2152/2 रकवा 0.405 हे. भूमि का नक्शा तरमीम किया गया उक्त भूमि चन्दला लौड़ी रोड़ पर स्थित है। तहसील न्यायालय ने तरमीम कार्यवाही में विधिवत उदघोषणा जारी की है मौके का तरमीम प्रतिवेदन मंगाया गया। किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। अनावेदक ने तरमीम आदेश दिनांक 9.11.98 के विरूद्ध 12 वर्ष पश्चात निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी अपर कलेक्टर को चाहिए था कि वे प्रस्तुत निगरानी समय सीमा के बाहर मानकर प्रथम दृष्टि में ही खारिज करते क्योंकि अनावेदक को तरमीम आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी इतने लंबे अर्से पश्चात जानकारी कैसे प्राप्त हुई इस बात को अनावेदक ने प्रमाणित नहीं किया था समय वर्जित पुनरीक्षण में सुनवाई कर तरमीम आदेश कोनिरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 9.11.98 संहिता की धारा 70 के अंतर्गत पारित कर	

'4 जिला छ

अभिभाषकों हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 391–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं उक्त आदेश अंतिम स्वरूप का है इस कारण संहिता की धारा 46 के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपील योग्य था। अपील योग्य आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र ग्राहग्य योग्य नहीं था। अत प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार उपरांत में अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश को न्याय संगत नहीं मानता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार चन्दला द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.98 यथावत रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	